



THE PLASTICS EXPORT  
PROMOTION COUNCIL

दि प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिल  
( भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित )

**THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL**

(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या: Plex/Cir/964

18.03.2026

को,

प्लेक्सकॉन्सिल / सीओए के सभी सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

### विषय: भारत के विरुद्ध धारा 301 के तहत जांच पर वेबिनार में भाग लेने का अनुरोध

एक ऐतिहासिक घटनाक्रम में, संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि ने 1974 के व्यापार अधिनियम की धारा 301(बी) के तहत भारत सहित विभिन्न देशों की व्यापारिक प्रथाओं की जांच शुरू की है। इस जांच के हिस्से के रूप में, अमेरिकी सरकार यह जांच करेगी कि क्या भारत का अमेरिका को निर्यात प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों, जिनमें प्लास्टिक क्षेत्र भी शामिल है, में अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन से प्रेरित है।

इस जांच के निष्कर्ष अमेरिका के भविष्य के व्यापार नियमों को आकार देंगे और इसका भारत के प्लास्टिक क्षेत्र पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

प्लेक्सकॉन्सिल अपने सदस्यों से अनुरोध करता है कि वे इस विषय पर लक्ष्मीकुमारन श्रीधरन अटॉर्नीज द्वारा 19 मार्च, 2026 को शाम 4:00 बजे से 5:00 बजे तक आयोजित एक महत्वपूर्ण वेबिनार में भाग लें।

इस वेबिनार में भाग लेने से सदस्यों को निम्नलिखित विषयों पर जानकारी प्राप्त हो सकती है:

- इस जांच से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित होगा?
- इस जांच में भारतीय उद्योग अपने हितों की रक्षा कैसे कर सकता है?
- इस जांच की समयसीमा और प्रक्रिया

हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप नीचे दिए गए लिंक पर पंजीकरण करके इस वेबिनार में भाग लें:

[https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN\\_SljB6xj\\_SnOYsiOo\\_fnXDRQ#/registration](https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_SljB6xj_SnOYsiOo_fnXDRQ#/registration)

साभार

भारती परवे (व्यापार और नीति)

प्लेक्सकॉन्सिल